MICROFINANCE INSTITUTIONS NETWORK

Media Coverage Report

Press Release: Microfinance Institutions Network appeals women borrowers to not fall prey to Ponzi schemes

Region: Ambikapur, Chhattisgarh

Ketchum Sampark
break through

Media Coverage Index

S. No.	Date	Publication Name	Edition
1.	10.12.2020	Dainik Bhaskar	Ambikapur, Chhattisgarh
2.	17.12.2020	Agradoot	Ambikapur, Chhattisgarh
3.	10.12.2020	Ambikawani	Ambikapur, Chhattisgarh
4.	10.12.2020	Amrit Sandesh	Ambikapur, Chhattisgarh
5.	10.12.2020	Dabang Dunia	Ambikapur, Chhattisgarh
6.	11.12.2020	Prakhar Samachar	Ambikapur, Chhattisgarh
7.	09.12.2020	Rihand Times	Ambikapur, Chhattisgarh

Publication	Dainik Bhaskar
Edition	Ambikapur, Chhattisgarh
Date	10th December, 2020
Page No.	01

फर्जी निवेश योजनाओं का महिलाएं न हों शिकार

अंबिकापुर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन नेटवर्क ने महिला कर्जदारों से कहा है कि फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार न बने। संस्था का कहना है कि यदि कर्ज के तौर पर ली गई धनराशि बताए गए उद्देश के अलावा इस्तेमाल की गई तो कर्जदार महिलाएं बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस सकती है। अंबिकापुर में एक स्थानीय निवासी ने महिला कर्जदारों को ठग कर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा ऐंठ लिए। इन महिलाओं ने माइक्रो फाइनेंस कर्जदाता संस्थाओं से कर्ज लिया था।

Publication	Agradoot
Edition	Ambikapur, Chhattisgarh
Date	17th December, 2020
Page No.	05

महिला कर्जदार फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार न बने, माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन नेटवर्क कि अपील

अंबिकापुर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क , माइक्रो फाइनेंस उद्योग के प्रतिनिधि संस्था तथा स्वयं ङ्क नियंत्रण संस्था ऐसे महिला गुटों के सक्षमीकरण के लिए काम करता है, जिन्हें या तो कोई भी वित्तीय सेवा नहीं मिलती, या बहोत कम ऐसी सेवाएँ मिलती है. स्लुस्त्रह ने इन महिला कर्जदारोंसे अपील की है के उनके द्वारा, अग्रणी कर्जदाता संस्थओंसे लिए गए कर्ज जागरूकता, सावधानी तथा मेहनतसे सही इस्तेमाल कर फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार होने से बचें.

MFIN ने आगाह किया है कि यदि कर्ज के तौर पर ली गयी धनराशी बताये गए उद्देश के आलावा इस्तेमाल की गयी तो कर्जदार महिलाऐं बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस सकती है, जिसकी वजह से उनके कई सालों की कड़ी मेहनत से बनाये गए निजी क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड में दाग लग सकता है. छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक स्थानीय निवासी ने कुछ सौ महिला कर्जदारों को ठग कर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा ऐंठ लिए. इन महिलाओंने माइक्रो फाइनेंस कर्जदाता संस्थाओंसे कर्ज लिया था. MFIN कि अपील को इस घटना कि पृष्ठभूमि है.

अंबिकापुर पुलिस ने इस सिलसिले में राजेश गुप्ता तथा उसके पिता अयोध्यानाथ गुप्ता और एजेंट के खिलाफ सितंबर 2020 में मामला दर्ज कर, उन्हें गिरफ्तार किया. इस मामले कि जाँच अभी चल रही है.

MFIN ने यह भी ऐलान किया है के वह: अंबिकापुर तथा आसपास के इलाकों में ग्राहकों में कर्ज प्रक्रिया के बारे में जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे. समुदाय विकास कार्यक्रमोंद्वारा महिला कर्जदारों कि मदद करेंगे. अपनी धनराशी को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए और क्या न किया जाए ङ्क अपने ङ्करूकार्ड, पिन और धनराशी कि जानकारी अनजान व्यक्ति से सौंझा न करे किसी भी समस्या सौंझा करने तथा स्पष्टीकरण के लिए तुरंत स्त्रह शिकायत निवारण केंद्र से तुरंत संपर्क करें. इस घटनापर बोलते हुए, स्लुस्त्रह प्रवक्ता ने कहा- MFINपिछले लगभग दस साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा है तथा अंबिकापुर में 75,000 महिलाओं को सेवा दे रहा है. महिला कर्जदारों के साथ अंबिकापुर में जो भयानक हादसा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वह अनौपचारिक कर्ज की जाने कि संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, जो, अनुचित तथा अन्यायपूर्ण नियम और शर्तें उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी. तथा इसकी वजहसे न सिर्फ आर्थिक समावेश के लिए आरबीआई, विकास संस्थाएं, बैंकोंद्वारा की गयी मेहनत पर पानी फिर जाता, बल्कि निम्न आय वर्ग के परिवारों की अच्छे क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने की मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती. इसके साथ ही, स्त्रबुह्न जैसी औपचारिक नियंत्रित संस्थाओं से कर्ज सुविधा मिलना मुश्किल हो जाता. माइक्रो फाइनेंस कर्जदाता, महिला कर्जदारों को उद्यमों, बच्चों की शिक्षा, घर की मरम्मत, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए बिना किसी संपार्श्विक (कोलैटरल) के लघु कर्ज प्रस्तावित करता है. कर्जदाता द्वारा चङ्कष्ट पर आधारित संपूर्ण प्राथमिक मुल्यांकन तथा क्रेडिट ब्यूरो रेटिंग कि जाँच के बाद यह माइक्रो फाइनेंस कर्ज सीधे उनके बैंक खतों में जमा किये जाते है.

Publication	Ambikawani
Edition	Ambikapur, Chhattisgarh
Date	10th December, 2020
Page No.	04

महिला कर्जदार फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार न बने, माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन नेटवर्क करेगा ग्रामीणों को जागरूक

अंबिकापुर(अम्बिकावाणी समाचार)।
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, माइक्रो फाइनेंस उद्योग के प्रतिनिधि संस्था तथा स्वयं नियंत्रण संस्था ऐसे महिला गुटों के सक्षमीकरण के लिए काम करता है, जिन्हें या तो कोई भी वित्तीय सेवा नहीं मिलती, या बहोत कम ऐसी सेवाएँ मिलती है। एम आई एस एन ने इन महिला कर्जदारोंसे अपील की है के उनके द्वारा, अग्रणी कर्जदाता संस्थाओं से लिए गए कर्ज जागरूकता, सावधानी तथा मेहनत से सही इस्तेमाल कर फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार होने से बचें।

एमएफआईएन ने आगाह किया है कि यदि कर्ज के तौर पर ली गयी धनराशी बताये गए उद्देश के अलावा इस्तेमाल की गयी तो कर्जदार महिलाएँ बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस सकती है, जिसकी वजह से उनके कई सालों की कड़ी मेहनत से बनाये गए निजी क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड में दाग लग सकता है। छतीसगढ़ के अंबिकापुर में एक स्थानीय निवासी ने कुछ सौ महिला कर्जदारों को ठग कर २ करोड़ रुपये से ज्यादा ऐंठ लिए, इन महिलाओंने माइक्रो फाइनेंस कर्जदाता संस्थाओं से कर्ज लिया था।

अंबिकापुर पुलिस ने इस सिलसिले में राजेश गुप्ता तथा उसके पिता अयोध्यानाथ गुप्ता और एजेंट के खिलाफ सितंबर २०२० में मामला दर्ज कर, उन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले कि जाँच अभी चल रही है। एमएफआईएन ने यह भी ऐलान किया है के वह अंबिकापुर तथा आसपास के इलाकों में ग्राहकों में कर्ज प्रक्रिया के बारे में जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।समुदाय विकास कार्यक्रमोंद्वारा महिला कर्जदारों कि मदद करेंगे। अपनी धनराशी को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए और क्या न किया जाए झ अपने एटीएम कार्ड, पिन और धनराशी कि जानकारी अनजान व्यक्ति से साँझा न करे। किसी भी समस्या साँझा करने तथा स्पष्टीकरण के लिए तुरंत एस आर ओ शिकायत निवारण केंद्र से तुरंत संपर्क करें।

इस घटनापर बोलते हुए एमआईएफएम, प्रवक्ता ने कहाः च्यएमआईएफएम पिछले लगभग दस साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा है तथा अंबिकापुर में ७५,००० महिलाओं को सेवा दे रहा है. महिला कर्जदारों के साथ अंबिकापुर में जो भयानक हादसा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वह अनौपचारिक कर्ज की जाने कि संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, जो, अनुचित तथा अन्यायपूर्ण नियम और शर्तें उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी. तथा इसकी वजहसे न सिर्फ आर्थिक समावेश के लिए आरबीआई, विकास संस्थाएं, बैंकोंद्वारा की गयी मेहनत पर पानी फिर जाता, बल्कि निम्न आय वर्ग के परिवारों की अच्छे क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने की मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती. इसके साथ ही, औपचारिक नियंत्रित संस्थाओं से कर्ज सुविधा मिलना मुश्किल हो जाता।

माइक्रो फाइनेंस कर्जदाता, महिला कर्जदारों को उद्यमों, बच्चों की शिक्षा, घर की मरम्मत, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए बिना किसी संपार्श्विक (कोलैटरल) के लघु कर्ज प्रस्तावित करता है. कर्जदाता द्वारा केवाईसी पर आधारित संपूर्ण प्राथमिक मुल्यांकन तथा क्रेडिट ब्यूरो रेटिंग कि जाँच के बाद यह माइक्रो फाइनेंस कर्ज सीधे उनके बैंक खतों में जमा किये जाते है।

Publication	Amrit Sandesh
Edition	Ambikapur, Chhattisgarh
Date	10th December, 2020
Page No.	09

महिला कर्जदार फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार न बने: माइक्रो

अंबिकापुर। इंस्टीट्यूशन नेटवर्क माइक्रो फइनेंस उद्योग के प्रतिनिधि संस्था तथा स्वयं नियंत्रण संस्था ऐसे महिला गुटों के सक्षमीकरण के लिए काम करता है, जिन्हें या तो कोई भी वित्तीय सेवा नहीं मिलती, या बहोत कम ऐसी सेवाएँ मिलती है. महिला कर्जदारोंसे अपील की है के उनके द्वारा, अग्रणी कर्जदाता संस्थओंसे लिए गए कर्ज जागरूकता, सावधानी तथा मेहनतसे सही इस्तेमाल कर फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार होने से बचें। यदि कर्ज के तौर पर ली गयी धनराशी बताये गए उद्देश के आलावा इस्तेमाल की गयी तो कर्जदार महिलाऐं बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस सकती है, जिसकी वजह से उनके कई सालों की कड़ी मेहनत से बनाये गए निजी क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड में दाग लग सकता है.

Publication	Dabang Dunia
Edition	Ambikapur, Chhattisgarh
Date	10th December, 2020
Page No.	06

महिला कर्जदार फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार न बनें

अंबिकापुर » एजेंसी

माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, माइक्रो फाइनेंस उद्योग के प्रतिनिधि संस्था तथा स्वयं नियंत्रण संस्था ऐसे महिला गुटों के सक्षमीकरण के लिए काम करता है, जिन्हें या तो कोई भी वित्तीय सेवा नहीं मिलती, या बहुत कम ऐसी सेवाएं मिलती है। नेटवर्क ने इन महिला कर्जदारोंसे अपील की है के उनके द्वारा, अग्रणी कर्जदाता संस्थओं से लिए गए कर्ज जागरूकता, सावधानी तथा मेहनत से सही इस्तेमाल कर फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार होने से बचें। नेटवर्क ने आगाह किया है कि यदि कर्ज के तौर पर ली गयी धनराशि बताये गए उद्देश के आलावा इस्तेमाल की गयी तो कर्जदार महिलाएं बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस सकती हैं। नेटवर्क ने उदाहरण देते हुए समझाया कि छतीसगढ़ के अंबिकापुर में एक स्थानीय निवासी ने कुछ सौ महिला कर्जदारों को ठग कर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा ऐंठ लिए। इन महिलाओं ने माइक्रो फाइनेंस कर्जदाता संस्थाओं से कर्ज लिया था। अंबिकापुर पुलिस ने इस सिलसिले में राजेश गुप्ता तथा उसके पिता अयोध्यानाथ गुप्ता और एजेंट के खिलाफ सितंबर 2020 में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले कि जांच अभी चल रही है।

Ketchum Sampark
break through

Publication	Prakhar Samachar
Edition	Ambikapur, Chhattisgarh
Date	11th December, 2020
Page No.	08

महिला कर्जदार फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार न बने

रायपुर (प्रखर)। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क (एमएफआईएन), माइक्रो फाइनेंस उद्योग के प्रतिनिधि संस्था तथा स्वयं नियंत्रण संस्था ऐसे महिला गुटों के सक्षमीकरण के लिए काम करता है, जिन्हें या तो कोई भी वित्तीय सेवा नहीं मिलती, या बहोत कम ऐसी सेवाएँ मिलती है. एमएफआईएन ने इन महिला कर्जदारोंसे अपील की है के उनके द्वारा, अग्रणी कर्जदाता संस्थओंसे लिए गए कर्ज जागरूकता, सावधानी तथा मेहनत से सही इस्तेमाल कर फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार होने से बचें.

एमएफआईएन ने आगाह किया है कि यदि कर्ज के तौर पर ली गयी धनराशी बताये गए उद्देश के आलावा इस्तेमाल की गयी तो कर्जदार महिलाऐं बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस सकती है, जिसकी वजह से उनके कई सालों की कड़ी मेहनत से बनाये गए निजी क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड में दाग लग सकता है. छतीसगढ़ के अंबिकापुर में एक स्थानीय निवासी ने कुछ सौ महिला कर्जदारों को ठग कर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा ऐंठ लिए. इन महिलाओंने माइक्रो फाइनेंस कर्जदाता संस्थाओंसे कर्ज लिया था. एमएफआईएन के अपील को इस घटना कि पृष्ठभूमि है.

अंबिकापुर पुलिस ने इस सिलसिले में राजेश गुप्ता तथा उसके पिता अयोध्यानाथ गुप्ता और एजेंट के खिलाफ सितंबर 2020 में मामला दर्ज कर, उन्हें गिरफ्तार किया. इस मामले कि जाँच अभी चल रही है. एमएफआईएन ने यह भी ऐलान किया है के वह अंबिकापुर तथा आसपास के इलाकों में ग्राहकों में कर्ज प्रक्रिया के बारे में जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे. समुदाय विकास कार्यक्रमोंद्वारा महिला कर्जदारों कि मदद करेंगे. अपनी धनराशी को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए और क्या न किया जाए। अपने एटीएम कार्ड, पिन और धनराशी कि जानकारी अनजान व्यक्ति से साझा न करे। किसी भी समस्या साँझा करने तथा स्पष्टीकरण के लिए तुरंत एस. आर. ओ. शिकायत निवारण केंद्र से तुरंत संपर्क करें.

इस घटनापर बोलते हुए, एमएफआईएन प्रवक्ता ने कहा- एमएफआईएन पिछले लगभग दस साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा है तथा अंबिकापुर में 75,000 महिलाओं को सेवा दे रहा है. महिला कर्जदारों के साथ अंबिकापुर में जो भयानक हादसा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वह अनौपचारिक कर्ज की जाने कि संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, जो, अनुचित तथा अन्यायपूर्ण नियम और शर्तें उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी. तथा इसकी वजहसे न सिर्फ आर्थिक समावेश के लिए आरबीआई, विकास संस्थाएं, बैंकोंद्वारा की गयी मेहनत पर पानी फिर जाता, बल्कि निम्न आय वर्ग के परिवारों की अच्छे क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने की मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती. इसके साथ ही, औपचारिक नियंत्रित संस्थाओं से कर्ज सुविधा मिलना मुश्किल हो जाता

माइक्रो फाइनेंस कर्जदाता, महिला कर्जदारों को उद्यमों, बच्चों की शिक्षा, घर की मरम्मत, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए बिना किसी संपार्श्विक (कोलैटरल) के लघु कर्ज प्रस्तावित करता है. कर्जदाता द्वारा केवायसी पर आधारित संपूर्ण प्राथमिक मुल्यांकन तथा क्रेडिट ब्यूरो रेटिंग कि जाँच के बाद यह माइक्रो फाइनेंस कर्ज सीधे उनके बैंक खतों में जमा किये जाते है.

Publication	Rihand Times
Edition	Ambikapur, Chhattisgarh
Date	9th December, 2020
Page No.	05

फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार होने से बचने की अपील

अम्बिकापुर। 09 दिसम्बर। रिहन्द समाचार। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क (एमएफआईएन) ने महिला कर्जदारों से फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार होने से बचने की अपील की है।

एमएफआईएन ने सचेत किया है कि यदि कर्ज के तौर पर ली गयी धनराशि बताये गए उद्देश के अलावा इस्तेमाल की गयी तो कर्जदार महिलाऐं बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस सकती है, जिसकी वजह से उनके कई सालों की कड़ी मेहनत से बनाये गए निजी क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड में दाग लग सकता है।

गत दिनों अंबिकापुर में राजेश गुप्ता आ. अयोध्यानाथ गुप्ता ने कुछ सौ महिला कर्जदारों से ठगी कर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा ऐंठ लिए थे। महिला समूहों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एमएफआईएन ने कहा है कि वे आगामी दिनों में अंबिकापुर तथा आसपास के इलाकों में ग्राहकों के लिये कर्ज प्रक्रिया के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला कर्जदारों की मदद करेंगे तथा उन्हें अपनी धनराशि को सुरक्षित रखने के लिये जागरूक करेंगे।